# समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

18-06-2013

## –: आदेश :–

विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–296/2008 में आवेदक **मो0 शकील जमाल,** पिता–स्व0 लालदीन, सा0–चनमारी, वार्ड नं0–04, पो0+थाना–मोकामा, जिला–पटना से प्राप्त एक दोनाली बन्दूक शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–18.06.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे ठीकेदारी करते हैं। पूर्व में उनके ऊपर बमबारी की गई। उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना का पत्रांक–392/गो0, दिनांक–19.03.2013 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र जाँचोपरान्त मूल में अग्रसारित किया गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बाढ़, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, मोकामा के मंतव्य से सहमत होते हुए आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को अनुशंसित एवं अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, मोकामा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक ठीकेदारी का कार्य करते हैं। आवेदक के विरूद्ध मोकामा थाना कांड सं0–199/2002, दिनांक–24.10.2002, धारा–364(A)/392/120(B)/34 भा0द0वि0 दर्ज तथा मोकामा थाना कांड सं0–199/2002 दर्ज, जिसमें न्यायालय द्वारा उन्हें निर्दोष पाया गया है। उक्त कांड के अतिरिक्त मोकामा थाना कांड सं0– 218/2002, दि0–20.11.2002 धारा–147/148/149/427/452/504 भा0द0वि0 दर्ज है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के पिता के नाम पूर्व से रिवाल्वर/रायफल एवं बन्दूक की अनुज्ञप्ति था, जो मृत्योपरांत शस्त्र दुकान में जमा है। आवेदक के जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

आवेदक के आवेदन पत्र पर अंतिम निर्णय हेतु लंबित रहने के कारण शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु पटना उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका दायर किया गया, जिसमें सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–6381/2010 सकिना बेगम बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में

न्यायालय द्वारा दिनांक–06.01.2012 को आदेश पारित किया गया, जिसमें आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर चार माह के अंदर पुणर्विचार हेतु निदेश दिया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान–माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/ 2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त मो0 शकील जमाल, पिता–स्व0 लालदीन, सा0–चनमारी, वार्ड नं0–04, पो0+थाना–मोकामा, जिला–पटना को उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक दोनाली बन्दूक शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

मो0 शकील जमाल को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।